उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या-34/2017/962/35-1-2017-6/8(11)2016
लखनऊःदिनांकः 26 दिसम्बर, 2017

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 में इनोवेशन सेल के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-09/ 2017/386/35-1-2017-6/8(11)2016, दिनांक 11.05.2017 द्वारा रूपये 30.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान रूपये 12.50 लाख की अलग-अलग मदों के सापेक्ष आवंटित धनराशि के संबंध में निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-526/दी0यो0प्र0/2017, दिनांक 18.09.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि का आहरण शासनादेश के प्रस्तर-1 में अंकित शर्त संख्या-2 के कारण संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपर्युक्त शासनादेश संख्या- 09/2017/386/35-1-2017-6/8(11)2016, दिनांक 11.05.2017 के प्रस्तर-1 में अंकित शर्त संख्या-2 **"उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-24/2016 /524/35-1-2016 -6/8(3) 2015, दिनांक 01.09.2016 के अनुसार पृथक से खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाते में रक्षित की जायेगी तथा इसका संचालन प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित विशेष सचिव तथा राज्य इनोवेशन सेल के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित की जायेगी।"** को न पढ़े जाने/विलोपित की सीमा तक संशोधित किया जाता है।

2. शासनादेश संख्या-09/2017/386/35-1-2017-6/8(11)2016, दिनांक 11.05.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

संख्या-34/2017/962(1)/35-1-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- [redacted] वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in